फोन/फैक्स–0522–2721417/2721603

उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का एक उपक्रम)
ISO 9001 : 2015 प्रमाणित/CIN-U 45201 UP 1987 SGC008642
पंजीकृत कार्यालयः विभूति खण्ड, व्यवसायिक परिसर पार्ट–1, गोमती नगर, लखनऊ–226010

विज्ञापन संख्या–02/पुआनि/स–35/से0नि0का0अनु0/2025–26

विज्ञप्ति

उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 में रिक्त सहायक अभियन्ता (सिविल), अवर अभियन्ता (सिविल), अवर अभियन्ता (विद्युत) एवं लेखा संवर्ग के पदों पर अस्थायी रूप से नियत मानदेय पर सीमित अवधि हेतु सेवायें ली जानी हैं। निर्धारित शर्तें/अर्हता/पदनाम एवं मानदेय निम्नानुसार होंगे–

क्र0 सं0	पदनाम	जिस पदनाम से सेवायें ली जानी है एवं अधिकतम नियत पारिश्रमिक	रिक्त पदों की संख्या
01.	सहायक अभियन्ता (सिविल)	सहायक अभियन्ता (सिविल)/ रू0 86,000/– (प्रतिमाह)	04
02.	अवर अभियन्ता (सिविल)	अवर अभियन्ता (सिविल)/ रू0 54,000/– (प्रतिमाह)	05
03.	अवर अभियन्ता (विद्युत)	अवर अभियन्ता (विद्युत)/ रू0 54,000/– (प्रतिमाह	01
04.	लेखाकार	लेखाकार (अनु0जाति)/ रू0 54,000/– (प्रतिमाह)	02

अनुभव/अर्हता/शर्तें/प्रतिबन्धः–

1. ऐसे कार्मिक जो विभिन्न सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों से सेवानिवृत्त हो, उनके द्वारा संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन किया जा सकता है। आवेदक की आयु विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि को 64 वर्ष से अधिक न हो। सेवा अवधि प्रथमतः 11 माह के लिए रहेगी जिसे वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक विस्तारित किया जा सकेगा।
2. आवेदनकर्ता के द्वारा सेवानिवृत्त संस्थान में सेवाकाल के दौरान अच्छे कार्य व्यवहार के सम्बन्ध में अनुभव प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
3. आवेदनकर्ता द्वारा मूल विभाग से सेवा विवरण एवं विगत पाँच वर्षों की संतोषजनक सेवा/अनुशासनिक कार्यवाही एवं गोपनीय प्रविष्टियों का विवरण प्रस्तुत किया जायेगा।
4. आवेदक के द्वारा इस आशय का नोटराईज्ड शपथ–पत्र भी देना अनिवार्य होगा कि उनके विरूद्ध सेवाकाल में तथा उसके उपरान्त कोई विभागीय/न्यायिक कार्यवाही प्रचलित नहीं थी/है, और न ही दण्डित किया गया हो।
5. समूह 'ख' के पदों हेतु कार्मिको को रू0 5,00,000/– लाख (रू0 पाँच लाख मात्र) एवं समूह 'ग' के पदों हेतु रू0 3,00,000/– लाख (रू0 तीन लाख मात्र) सिक्योरिटी मनी देना अनिवार्य है।
6. अनुबन्धित कार्मिक के कार्य सम्पादन से यदि निगम को किसी प्रकार की वित्तीय हानि/क्षति होती है, तो उसकी प्रतिपूर्ति कार्मिक की बन्धक रखी गयी राशि अथवा मासिक देयकों से अंश रूप में की जायेगी।
7. सेवानिवृत्त राज्य कर्मियों को उनके सेवानिवृत्ति उपरान्त अन्तिम आहरित वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता के योग से प्राप्त एकमुश्त धनराशि) में से, प्राप्त पेंशन की धनराशि को घटाते हुए नियत पारिश्रमिक देय होगा।
8. सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के सेवानिवृत्त कर्मियों को जिस पद पर अनुबन्धित किया जाता है उस पद के सापेक्ष वेतन लेवल के न्यूनतम स्तर पर निर्धारित वेतन + महंगाई भत्ता को सम्मिलित करते हुए नियत पारिश्रमिक देय होगा।
9. आरक्षित वर्ग के आवेदकों को नियमानुसार आरक्षण देय होगा।

क्रमशः पेज–2

10. आवेदक को संविदा सेवा प्रारम्भ करने से पूर्व 100/— के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षर करना होगा।

11. संविदा कर्मी को साप्ताहिक एवं राजपत्रित अवकाशों के अतिरिक्त 11 माह में कुल 12 दिवस का आकस्मिक अवकाश देय होगा तथा अन्य कोई अवकाश अनुमन्य नहीं होगा।

12. संविदा कर्मी को संविदा/अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार नियमित कार्मिकों की नियुक्ति होने अथवा निगम में उनकी अनुपयुक्तता की दशा में बिना कोई कारण बताये तत्काल प्रभाव से सेवा से हटाया जा सकता है।

13. संविदा पर नियोजित कार्मिकों को कार्य की आवश्यकता के अनुसार प्रदेश में स्थापित उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 की निर्माण इकाईयों में तैनात किया जा सकता है।

14. अनुबन्ध अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का महंगाई भत्ता, H.R.A. आदि देय नहीं होगा।

15. संविदा नियुक्ति आदेश निर्गत होने के एक सप्ताह के भीतर योगदान करना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।

आवेदन का प्रारूप

पासपोर्ट साइज का स्वप्रमाणित फोटो चिपकायें।

1. आवेदित पद का नाम..
2. आवेदक का नाम
   (अ)–हिन्दी में.....................................
   (ब)–अंग्रेजी में.................................
3. पिता का नाम...
4. सेवानिवृत्ति के समय धारित पद (पी0पी0ओ0/ई0पी0एफ0 की स्व प्रमाणित प्रति)
5. अनुभव (जिस संस्थान से सेवानिवृत्त हुआ हो)
6. जन्मतिथि (हाईस्कूल प्रमाणपत्र के अनुसार)..........तिथि................माह...............वर्ष
7. जाति प्रमाण–पत्र (स्व प्रमाणित प्रति)
8. स्थायी पता...
9. पत्राचार का पता..
10. आधार कार्ड नं0 (स्व प्रमाणित प्रति)..........................मोबाइल नं0.....................

घोषणा पत्र

आवेदन प्रारूप पर दी गयी सूचना/तथ्य/आख्या असत्य पाये जाने पर मेरी नियुक्ति निरस्त कर दी जाये जो मुझे मान्य होगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

इच्छुक सेवानिवृत्त कार्मिक दिनांक 20.07.2026 तक अपना सेवा विवरण एवं क्रमांक-4 से 10 तक सम्बन्धित अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न कर महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लिमिटेड, विभूतिखण्ड, व्यावसायिक परिसर पार्ट-1, गोमती नगर, लखनऊ-226010 को रजिस्टर्ड पत्र/स्पीड पोस्ट के माध्यम से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उपरोक्त विज्ञप्ति को निरस्त करने/आवेदन स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार निगम के महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) को होगा। सेवा संबंधी अन्य शर्तें पृथक से निर्धारित की जायेंगी।

महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध)
उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0